UPRB010032532025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट)/ चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रायबरेली

पीठासीन अधिकारी– (अमित कुमार पाण्डे), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)** – UP06246

दाण्डिक निगरानी सं०–177/2025

श्रीमती सौम्या सिंह उम्र लगभग 39 वर्ष पत्नी प्रमोद कुमार सिंह निवासिनी 791/बी कैलाशपुरी कालोनी केनरा बैंक के पीछे कानपुर रोड, थाना– कोतवाली नगर, रायबरेली।

.....निगरानीकर्ती

बनाम

1– उ०प्र० द्वारा डी.जी.सी.

2– मनीष कुमार त्रिपाठी आयु लगभग 50 वर्ष पुत्र स्व० चंद सेवक त्रिपाठी निवासी मधुपुरी मुंशीगंज, थाना– भदोखर, रायबरेली।

.......विपक्षीगण

निर्णय

1– प्रथम ए.सी.जे.एम. रायबरेली द्वारा दाण्डिक प्रकीर्णवाद सं०–2530/2024 सौम्या सिंह बनाम मनीष कुमार त्रिपाठी अंतर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. थाना– कोतवाली नगर, जनपद रायबरेली में पारित आदेश दिनांकित 01.05.2025 के विरूद्ध संदर्भित वाद की प्रार्थिनी सौम्या सिंह द्वारा यह निगरानी सत्र न्यायाधीश रायबरेली के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो दर्ज होने के उपरांत अंतरित होकर निस्तारण वास्ते इस न्यायालय में प्राप्त करायी गयी।

2– विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांकित 01.05.2025 के माध्यम से प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. को परिवाद के रूप में दर्ज कर लिया गया है।

3– संक्षेप में आधार निगरानी यह लिया गया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधान के विरूद्ध है। प्रश्नगत आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है। प्रश्नगत प्रकरण का संकलित निराकरण बिना विवेचना के संभव नहीं है। विपक्षी के विरूद्ध स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध बनने के बावजूद अवर न्यायालय द्वारा प्रकरण परिवाद के रूप में दर्ज करने सम्बन्धी आदेश पारित करने में विधिक भूल किया है। अतः निगरानी स्वीकार करते हुए प्रश्नगत आदेश दिनांकित 01.05.2025 निरस्त किया जाये तथा स्थानीय थाना कोतवाली नगर को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश पारित किया जाये।

4– प्रतिपक्षी पर नोटिस तामील कराया गया परंतु प्रतिपक्षी न तो न्यायालय समक्ष उपस्थित आया, न ही उसके द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत किया गया।

5– मैंने निगरानीकर्ती के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा संपूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया।

6– संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिनी श्रीमती सौम्या सिंह द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थिनी ने भूमि गाटा सं०–421 स्थित ग्राम मधुपूरी परगना व तहसील व जनपद रायबरेली में से 14.88 वर्ग मीटर का बैनामा दिनांक 03.01.2022 को विपक्षी के पक्ष में उपनिबंधक सदर रायबरेली में निष्पादित किया था। विक्रय अभिलेख में प्रतिफल के रूप में मु० 190,000/–रूपये करार किये गये जिसमें से 90,000/–रूपये पूर्व में दिया जा चुका है। शेष एक लाख रूपये के लिए विपक्षी द्वारा प्रार्थिनी को चेक सं०–

000002 एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा रायबरेली का दिया गया परंतु विपक्षी द्वारा बैनामा निष्पादित करते समय ही कुटिल चाल चलते हुए प्रार्थिनी से षडयंत्रपूर्वक चेक पुनः इस कथन के साथ वापस ले लिया कि वह नगद धनराशि अगले दिन दे देगा। प्रार्थिनी पूर्व सम्बन्धों की मधुरता को दृष्टिगत रखते हुए तैयार हो गयी और उसने विपक्षी पर विश्वास करके उसे चेक वापस कर दिया। अगले दिन प्रार्थिनी पैसो का इंतजार करती रही लेकिन विपक्षी द्वारा संपर्क न किये जाने पर प्रार्थिनी स्वयं अपने पति के साथ विपक्षी के आवास पर जाकर पैसा दिये जाने की बात कही, तो बेहद विनम्रता के साथ विपक्षी द्वारा एक माह के अंदर पैसा देने की बात कही गयी लेकिन एक माह बाद भी किसी भी प्रकार से पैसे की अदायगी नहीं की गयी। इतना ही नहीं विपक्षी प्रार्थिनी से मिलने से बचने का प्रयास करने लगा। प्रार्थिनी अपना बकाया धनराशि प्राप्त करने का प्रयत्न करती रही। इस प्रकार लगभग ढाई वर्ष का समय बीत गया। तब प्रार्थिनी को लगा कि विपक्षी की नियत में खोट आ गया है और वह पैसा नहीं देना चाहता है। प्रार्थिनी व उसका पति दिनांक 28.07.2024 की सुबह समझौते की नियत से अपने साथ आलोक त्रिपाठी एवं सुधीर सिंह को लेकर विपक्षी के आवास पहुंचे। उन्हें देखते ही विपक्षी भड़क गया और गाली–गलौज करने लगा। विपक्षी ने रूपये देने से इंकार कर दिया तथा दोबारा घर आने पर जान से मारने की धमकी दिया। प्रार्थिनी ने घटना की शिकायत थाना कोतवाली नगर में दिनांक 07.08.2024 को दिया परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। दिनांक 16.08.2024 को प्रार्थिनी ने घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक रायबरेली को प्रेषित किया, इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई।

7– प्रार्थनापत्र के आलोक में अवर न्यायालय द्वारा थाने से आख्या आहूत किया गया। तदोपरांत सुनवाई करते हुए इस निष्कर्ष के साथ की प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों की जानकारी प्रार्थिनी को व्यक्तिगत रूप से है, विवेचना से किसी भी नये तथ्य को प्रकट होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है, घटना का संपूर्ण विवरण प्रार्थनापत्र में वर्णित किया गया है। घटना के गवाह भी प्रार्थिनी के पास हैं, जिन्हें वह आसानी से न्यायालय के समक्ष मामले को साबित करने के लिए प्रस्तुत कर सकती है, विधि व्यवस्था सुखवासी बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. में दिये गये विधिक सिद्धांतों के आलोक में प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. को आक्षेपित आदेश दिनांकित 01.05.2025 के माध्यम से परिवाद के रूप में दर्ज कर लिया गया, जिससे क्षुब्ध होकर यह निगरानी प्रार्थिनी द्वारा योजित किया गया।

8– प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थिनी का कथन है कि उसके द्वारा भूमि गाटा सं०–421 स्थित ग्राम मधुपुरी परगना व तहसील, जिला रायबरेली में से 14.88 वर्ग मीटर का बैनामा दिनांक 03.01.2022 को विपक्षी के पक्ष में मु० 190,000/–रूपये के प्रतिफल पर निष्पादित कराया था जिसमे से 90,000 रूपये उसे पूर्व में प्राप्त हो चुके थे और शेष एक लाख रूपये का चेक विपक्षी द्वारा प्रार्थिनी को दिया गया था। प्रार्थिनी का यह भी कथन है कि इससे पहले कि चेक धनराशि उसके खाते में आए विपक्षी ने षडयंत्रपूर्वक यह कहकर उससे चेक वापस ले लिया कि चेक के बदले वह नगद धनराशि उसे दे देगा, परंतु आज तक विपक्षी द्वारा उसे एक लाख रूपयों का भुगतान नहीं किया गया। जब प्रार्थिनी दिनांक 28.07.2024 की सुबह अपने पति और साथी सुधीर के साथ विपक्षी के आवास पहुंची तो विपक्षी ने गाली–गलौज करते हुए और जान से मारने की धमकी देते हुए तथा रूपये देने से इंकार करते हुए उसे घर से भगा दिया।

9– इन अभिवचनों के साथ प्रार्थिनी द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत किया गया जिसे विद्वान अवर न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष के साथ कि प्रार्थिनी को समस्त तथ्यों की व्यक्तिगत जानकारी है तथा विवेचना से किसी भी नये तथ्य के प्रकट होने की संभावना नहीं है और घटना के गवाह भी प्रार्थिनी के पास है जिन्हें वह आसानी से न्यायालय समक्ष प्रस्तुत कर अपने मामले को साबित कर सकती है, प्रार्थनापत्र परिवाद के रूप में दर्ज करने सम्बन्धी आदेश पारित कर दिया गया।

10– प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. के अभिकथनो के अवलोकन से विदितो होता है कि वस्तुतः यह मामला छलपूर्वक बिना प्रतिफल दिये बैनामा तहरीर व पंजीकृत कराने से सम्बन्धित है। इस मामले के सभी

तथ्यों की जानकारी प्रार्थिनी को व्यक्तिगत रूप से है। इसमें किसी व्यक्ति व वस्तु की बरामदगी वांछित नहीं है। तथ्य के साक्षियों के माध्यम से ही प्रार्थिनी को अपना मामला साबित करना है और प्रार्थिनी स्वयं अपने साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में सक्षम है। प्रार्थनापत्र में ऐसा कोई बिंदु नहीं है जिसकी विवेचना पुलिस से कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता हो। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र को परिवाद के रूप में दर्ज कर विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। प्रश्नगत आदेश में कोई विधि विरूद्धता, नियम प्रतिकूलता एवं क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं है। निगरानी बलहीन है, निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

दाण्डिक निगरानी सं०–177/2025 श्रीमती सौम्या सिंह बनाम उ०प्र० राज्य निरस्त की जाती है।

दाण्डिक प्रकीर्णवाद सं०–2530/2024 सौम्या सिंह बनाम मनीष कुमार त्रिपाठी में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 01.05.2025 की पुष्टि की जाती है।

आदेश की प्रति के साथ अवर न्यायालय की पत्रावली अविलंब वापस भेजी जाये।

दिनांक–17.04.2026

(अमित कुमार पाण्डे)
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट)/
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा दिनांकित व हस्ताक्षरित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 17.04.2026

(अमित कुमार पाण्डे)
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट)/
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

Digitally signed by Amit Kumar Pande
Date: 2026.04.18 10:37:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Raebareli